[illegible]

पृष्ठा. आवेदक तेजेन्द्र कौर ने न्यायालय के आ. पत्र [illegible] पर दिया दर्शाया तेजेन्द्र कौर का देहान्त हो गया है। [illegible] अभिभाषक की वकालत निरस्त कर दिया है। आ. पत्र के [illegible] अपीलीय कर्ता पेश किया है। आ. पत्र के साथ एक आ. पत्र निगरानी अधि. अन्तर्गत पेश किया है। आ. पत्र में नवीन का स्थान अपनाते हुये प्रतिवादी तेजेन्द्र कौर के स्थान पर प्रार्थीगण मोहनसिंह, रणजीत कौर, अमनदीप को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

एक आ. पत्र हस्तगत द्वारा पेश किया कि प्रकाश सिंह जिनका देहान्त 20.6.11 को हो चुका है। वसीयत के आधार पर वारिस होना जाहिर किया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के निर्णय दिनांक 14.8.24 राजेन्द्र सिंह बनाम जसवीर सिंह में प्रार्थी हस्तगत को प्रकाश सिंह का वारिस होना माना है। जिस आधार पर हस्तगत का आवेदन स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.2.10 जो सम्मांशीय आयुक्त जयपुर के द्वारा दिनांक 9.1.17 को इस आधार पर निरस्त किया कि पक्षकारों के बीच विभिन्न न्यायालयों में विवाद चल रहा है। समस्त विवादों का निपटारा होने पर प्रकरण हाजा में दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देते हुये निर्णय पारित किया जावे।

पक्षकारों के द्वारा एक राजीनामा भी इस प्रकरण हाजा प्रस्तुत किया है। जिसका अवलोकन किया तथा पत्रावली का गंभीरता से अध्ययन किया गया। पक्षकारों के द्वारा राजीनामा में इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पक्षकारों के बीच कोई विवाद शेष नहीं रहा है। रसीदी सुलह में न्यायहित में दिनांक 19.2.10 का निर्णय बहाल किया जाता है। तथा मृतक तेजेन्द्र कौर के स्थान पर मोहनसिंह पुत्र मेजर सिंह, रणजीत कौर पुत्री मोहन सिंह व पाल निशान सिंह, अमनदीप सिंह पुत्र मोहनसिंह का नाम मुताबिक निर्णय 19.2.10 की पालना में खातेदार दर्ज किया जावे। तदानुसार रिकॉर्ड में इन्द्राज किया जावे। इस प्रकार प्रकाशसिंह का नाम कटमजन किया जाकर तेजेन्द्र कौर के स्थान पर मोहनसिंह, रणजीत कौर व अमनदीप किया जावे।

अतः मुताबिक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजीनामा को स्वीकार करते हुये आदेश दिया जाता है कि राजस्व जमाबंदी में आराजी ख.नं. 1000 रकबा 0.35 है. वाके ग्राम नोगावा के लिये खातेदार के रूप में दर्ज नाम "प्रकाश सिंह पुत्र पुत्री सिंह का. सिख ना. देह खातेदार" को कटमजन किया जाता है तथा उसके स्थान पर राजेन्द्र सिंह पुत्र मेजर सिंह हि0 1/2 व मोहनसिंह पुत्र मेजर सिंह, अमनदीप सिंह पुत्र मोहन सिंह रणजीत कौर पुत्री मोहन सिंह (पाल निशान सिंह) हि0 1/2 का अंकन किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 3.1.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)